कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-22.12.2024

विषय:- थाना लोहता क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण, कुल 05 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गये सामान बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा चोरी/लूट/छिनैती की घटनाओं के अनावरण तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 248/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस तथा मु.अ.सं.- 260/24 धारा 331(4),305 बीएनएस व बढोतरी धारा 317(2)/317(5)/112(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए कुल 05 नफर अभियुक्तगण 1. सहबान पुत्र अमीनुद्दीन उर्फ मुन्नू निवासी इस्लामपुर छितौनी थाना लोहता जनपद वाराणसी 2. मो0 आसिफ पुत्र ऐनुलहक निवासी कोटवा (खरका) थाना लोहता जनपद वाराणसी 3. हैदर अली पुत्र स्व0 अब्दुल कलाम निवासी अलावल लोहता जनपद वाराणसी 4. दीपक गुप्ता पुत्र किशोरी गुप्ता निवासी कनई सराय थाना लोहता जनपद वाराणसी 5. भरत सैनी पुत्र मदन माली निवासी कनई सराय थाना लोहता जनपद वाराणसी को दयापुर नकई बार्डर स्थित खण्डहरनुमा फैक्ट्री के पास से आज दिनांक 22.12.24 समय करीब 12.20 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी का कुल 05 अदद सीलिंग पंखा, 12 अदद पंखे के ब्लेड, 01 अदद तराजू , 01 अदद बाट वजनी 02 किग्रा, 01 अदद इलेक्ट्रानिक काटा चालू हालत में, 03 अदद यूपीएस, 01 अदद एचसीएल मानीटर, 01 अदद भगौना व घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की हथौड़ी, 01 अदद छेनी, 01 अदद पेचकस, 01 अदद लोहे की छड़ बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 04.12.2024 व 20.12.2024 को वादी मुकदमा/प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय धन्नीपुर द्वारा विद्यालय में रखे टी.वी., वजन-माप मशीन, सीलिंग फैन व रसोईघर का सामान/बर्तन आदि विद्यालय का ताला तोड़कर अज्ञात द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना लोहता में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ.नि. अनुज कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग नशे के आदी है,कोई काम धन्धा नहीं है,नशे की जरूरतें पूरी करने के लिए चोरी करते हैं। उक्त दोनो चोरी की घटना के सम्बन्ध में बताये कि सहबान ने हम लोगो को बताया कि धन्नीपुर प्राइमरी स्कूल और मीडिल स्कूल भट्टी में कोई व्यक्ति रात में नहीं रहता है स्कूल में रसोई के बर्तन और इलेक्ट्रानिक सामान रहता है जिसे चोरी करके बेचने पर अच्छा पैसा मिलेगा इस बात पर हम लोगो ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों स्कूलों में चोरी किया। हम लोग छेनी हथौडी लोहे की राड की मदद से ताला तोड़ते हैं। करीब 15 - 20 दिन पहले धन्नीपुर प्राइमरी स्कूल से चोरी किये थे जिसमे से एलईडी टीवी व कुछ बर्तन हम लोगो ने निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए दीपक गुप्ता जो हमारे साथ चोरी भी करता है उसी की कबाडी की दूकान से ग्राहक को बेच दिये और रूपये आपस में बाँट लिए और रूपये हम लोग नशे में खर्च कर दिये। बरामदशुदा एक भगौना और इलेक्ट्रानिक तराजू धन्नीपुर प्राइमरी स्कूल से चोरी किया गया है तथा भट्टी मीडिल स्कूल से दो दिन पहले हम लोगो ने छत वाले पंखे,तराजू ,बाट,यूपीएस,मानीटर टीवी,चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.सहबान पुत्र अमीनुद्दीन उर्फ मुन्नू निवासी इस्लामपुर छितौनी थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र 25 वर्ष
2.मो0 आसिफ पुत्र ऐनुलहक निवासी कोटवा (खरका) थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष
3.हैदर अली पुत्र स्व0 अब्दुल कलाम निवासी अलावल थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र 33 वर्ष
4.दीपक गुप्ता पुत्र किशोरी गुप्ता निवासी कनई सराय थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष
5.भरत सैनी पुत्र मदन माली निवासी कनई सराय थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

दयापुर नकई बार्डर स्थित खण्डहरनुमा फैक्ट्री के पास से, दिनांक 22.12.24 समय करीब 12.20 बजे।

बरामदगी का विवरण-

कुल 05 अदद सीलिंग पंखा, 12 अदद पंखे के ब्लेड, 01 अदद तराजू , 01 अदद बाट वजनी 02 किग्रा, 01 अदद इलेक्ट्रानिक काटा चालू हालत में, 03 अदद यूपीएस, 01 अदद एचसीएल मानीटर, 01 अदद भगौना तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की हथौड़ी, 01 अदद छेनी, 01 अदद पेचकस, 01 अदद लोहे की छड़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

I.मु0अ0सं0- 248/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस व बढ़ोतरी धारा 3(5),317(2) बीएनएस थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

II.मु0अ0सं0- 260/2024 धारा - 331(4), 305 बीएनएस व बढ़ोतरी धारा 3(5), 317(2) बीएनएस थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

आपराधिक इतिहास सहबान पुत्र अमीनुद्दीन उर्फ मुन्नू-

I.मु0अ0सं0 146/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी>

II.मु0अ0सं0 248/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस व बढ़ोतरी धारा 3(5),317(2) बीएनएस थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

III.मु0अ0सं0 260/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस व बढ़ोतरी धारा 3(5),317(2) बीएनएस थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

आपराधिक इतिहास हैदर अली पुत्र स्व0 अब्दुल कलाम-

I.मु0अ0सं0 154/2015 धारा 380,411,457 भा0द0वि0 थाना लोहता वाराणसी

II.मु0अ0सं0 177/2020 धारा 380,411,457 भा0द0वि0 थाना लोहता वाराणसी

III.मु0अ0सं0 184/2020 धारा 411 भा0द0वि0 थाना लोहता वाराणसी

IV.मु0अ0सं0 248/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस व बढ़ोतरी धारा 3(5),317(2) बीएनएस थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

V.मु0अ0सं0 260/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस व बढ़ोतरी धारा 3(5),317(2) बीएनएस थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र.नि. प्रवीण कुमार थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

2.उ0नि0 अनुज कुमार थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

3.उ0नि0 अजय राय थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

4.उ0नि0 सुमित पाण्डेय थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

5.उ0नि0 अमित कुमार यादव थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

6.हे0का0 प्रवीन सिंह थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

7.हे0का0 हंसराज पाल थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

8.हे0का0 भीम कुमार थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

9.हे0का0 सत्यप्रकाश थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

10.का0 अमित कुमार यादव थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।